



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं० पटना 630) पटना, बृहस्पतिवार, 18 जून 2026

सं० स0 सु0 (लीड एजेन्सी) विविध-5-269/2025-470
परिवहन विभाग

संकल्प

18 जून 2026

विषय— बिहार राज्य में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन एवं दुर्घटना नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु **Public Private Partnership (PPP) मॉडल पर Intelligent Traffic Management System (ITMS)** के स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में।”

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु एवं गंभीर चोटों में कमी लाने, यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 136A एवं संबंधित नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक **Intelligent Traffic Management System (ITMS)** की स्थापना आवश्यक पाई गई है।

- राज्य में वर्ष 2025 के दौरान 12,253 सड़क दुर्घटनाएँ तथा 9,682 मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य में लगभग 1.57 करोड़ पंजीकृत वाहन एवं 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जहाँ प्रतिदिन औसतन 30 सड़क दुर्घटनाएँ एवं 24 मृत्यु घटित हो रही हैं। सड़क सुरक्षा की इस चुनौती का प्रभावी समाधान तकनीक आधारित निगरानी एवं प्रवर्तन प्रणाली के माध्यम से ही संभव है।
- आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (IDA) के निदेशक परिषद् की बैठकों में ITMS परियोजना के वित्तीय मॉडल, तकनीकी संरचना एवं कार्यान्वयन व्यवस्था पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। उद्योग जगत, सार्वजनिक उपक्रमों, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, उपकरण निर्माताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श उपरांत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु PPP आधारित **Challan Issuance Model** को उपयुक्त पाया गया।

3. परियोजना के अंतर्गत राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, दुर्घटना संभावित स्थलों (Black Spots) एवं उच्च यातायात घनत्व वाले मार्गों पर चरणबद्ध रूप से ITMS अवसंरचना स्थापित की जाएगी। प्रथम चरण में 200 स्थलों पर तथा आगामी चरण में अतिरिक्त 500 स्थलों पर प्रणाली स्थापित की जाएगी। राज्य स्तर पर एक Central Traffic Management Centre (TMC) तथा 37 जिला Viewing Centres की स्थापना की जाएगी।
4. परियोजना के अंतर्गत Spot Speed Violation Detection System, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), Red Light Violation Detection System, Seat Belt Detection, Helmet Detection, Mobile Phone Usage Detection, Wrong Side Driving Detection, Triple Riding Detection, e-Detection तथा अन्य स्वचालित प्रवर्तन प्रणालियाँ स्थापित की जाएँगी। परियोजना का एकीकरण Vahan Database, e-DAR, CCTNS, e-Courts, NIC एवं अन्य प्रासंगिक प्लेटफॉर्म से किया जाएगा।
5. ITMS परियोजना के अंतर्गत प्रणाली का Design, Supply, Implementation एवं Integration PPP मॉडल पर किया जाएगा। परियोजना का 14 माह का implementation phase तथा उसके पश्चात 120 माह का Operation&Maintenance period रहेगा। प्रथम चरण में 10 माह में 200 स्थानों पर प्रणाली स्थापित की जाएगी एवं Partial Go-live किया जायेगा तथा शेष स्थानों पर अगले 4 माह में Go-live सुनिश्चित किया जाएगा।
6. परियोजना के अंतर्गत चयनित एजेंसी द्वारा समस्त पूंजीगत व्यय (CAPEX) एवं परिचालन व्यय (OPEX) का वहन किया जाएगा। एजेंसी को भुगतान केवल स्वीकृत एवं वास्तविक ई-चालानों के आधार पर निर्धारित दरों पर किया जाएगा। इस प्रकार परियोजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार पर कोई प्रत्यक्ष वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
7. परियोजना के माध्यम से सड़क सुरक्षा, यातायात अनुशासन एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन को सुदृढ़ किया जाएगा तथा Vision 2030 के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तक कमी लाने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।
8. उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरांत निर्णय लिया गया कि:-
 (क) बिहार राज्य में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन एवं दुर्घटना नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु Public Private Partnership (PPP) मॉडल पर प्रथम चरण में 200 स्थलों तथा आगामी चरण में अतिरिक्त 300 स्थलों पर Intelligent Traffic Management System (ITMS) परियोजना का क्रियान्वयन कराया जाय।
 (ख) परिवहन विभाग के द्वारा Intelligent Traffic Management System (ITMS) की स्थापना एवं क्रियान्वयन सहित आगामी 10 वर्षों (2026-27 से 2037-38) के रख-रखाव हेतु बिहार सड़क सुरक्षा निधि से अनुमानित व्यय कुल रु0 622.04 करोड़ (छह सौ बाईस करोड़ चार लाख) की स्वीकृति दी गयी।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि संबंधित विभागों एवं प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 (ह०)-अस्पष्ट,
 सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 630-571+10-डी0टी0पी0।
 Website: <https://egazette.bihar.gov.in>